

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

App-
crim

ज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

सकती हुई

बनाम शिवलाल

केस मुकदमा

वादा

नं०

51

सन् 2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
09 ⁰¹ / 2025	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। तहसील कार्यालय से पत्र क्रमांक / रीडर/2024/1119, दिनांक 06/12/2024 से कंटाडा प्रस्ताव प्राप्त जो शा.फा. है। पत्रावली वारंते वदस कंटाडा प्रस्ताव दिनांक 15/01/2025 को पेश हो।</p> <p>SD.O</p>	
15 ⁰¹ / 2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी तथा वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावई गई बावजूद वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित अतः न्यायालय में प्रकरण में वादी की ओर से पैरती हेतु उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पैरती में खारिज किया जाता है। पत्रावली फिसल नुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	